-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना जसपुरा पुलिस द्वारा थाना परिसर के बाहर खड़े सीज ट्रक को बिना सूचना दिये ले जाने वाले दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.11.2024 को थाना जसपुरा पुलिस द्वारा थाने परिसर के बाहर खड़े सीज ट्रक नं0- UP42DT9803 को बिना सूचना दिये ले जाने वाले दो अभियुक्तों 1.शुभम पुत्र ध्रुव चन्द्र तथा 2.शैलेश कुमार शुक्ला पुत्र लक्ष्मीकान्त शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 08.11.2024 को राजस्व तथा थाना पैलानी की संयुक्त द्वारा टीम द्वारा ओवरलोड़ ट्रक को सीज कर थाना जसपुरा में खड़ा कराया गया था, दिनांक 09.11.2024 को ट्रक ड्राइवर बिना सूचना दिये ट्रक लेकर भाग गया था। इस संबंध में थाना जसपुरा में मु0अ0सं0- 138/24 अंतर्गत धारा 303(2)/109 बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11.11.2024 को दोनों अभियुक्तों को रामपुर चौड़गरा चौराहा से ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच करने पर पाया गया कि ट्रक के वाहन संख्या को भ्रमित करने के लिये बदल दिया गया है। जिसपर कूटरचित नम्बर प्लेट के आधार पर धारा में 317(2)/318(4)/338/336(3)/340(1) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वाहन चालक शुभम पुत्र ध्रुव चन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी वेलियागढ़ थाना गोसाईगंज जनपद आयोध्या
2. वाहन स्वामी शैलेश कुमार शुक्ला पुत्र लक्ष्मीकान्त शुक्ला 44 वर्ष निवासी गोपालपुर माझावला थाना कैन्ट जनपद आयोध्या।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 950/24 धारा 115(2)/352/351(2)/308(5)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(1) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी उ0नि0 श्रीमती मोनी निषाद
2. उ0नि0 श्री सूरज कुमार पाण्डेय
3. कां0 उमाकान्त
4. कां0 विक्रम सिंह
5. कां0 दिनेश कुमार वर्मा